(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड–3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 32/2024–25
नई दिल्ली, दिनांकः 30th सितम्बर, 2024

विषयः घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र इकाइयों (डीटीए) और अग्रिम प्राधिकार पत्र (एए)/निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू)/विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड़) इकाइयों से किए गए निर्यात के लिए आरओडीटीईपी स्कीम को बढ़ाने के संबंध में।

सा.आ.(अ.) समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार अधिसूचना संख्या 70/2023 दिनांक 08.03.2024 में निम्नलिखित परिवर्तन करती है, नामतः

i. डीटीए इकाइयों द्वारा विनिर्मित उत्पादों के निर्यात के लिए आरओडीटीईपी स्कीम को 30.09.2024 से आगे 30.09.2025 तक बढ़ाया जा रहा है;
ii. अग्रिम प्राधिकार पत्र धारकों (मान्य निर्यातों को छोड़कर), निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) और एसईजेड इकाइयों द्वारा विनिर्मित उत्पादों के निर्यात के लिए आरओडीटीईपी स्कीम को 30.09.2024 से आगे 31.12.2024 तक बढ़ाया जा रहा है।
iii. तथापि, उपर्युक्त उप–पैरा i) और ii) में 30.09.2024 से आगे स्कीम के विस्तार के बावजूद, एफटीपी 2023 के पैरा 4.54 में यथा उपलब्ध बजटीय ढांचे का पालन करने के उद्देश्य से ताकि, व्यय स्कीम के अनुमोदित बजट के भीतर रहे, स्कीम के लाभों में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे, जहां भी आवश्यक हो, जिसमें एफटीपी 2023 के पैरा 4.54 (v), (vi), (vii) के अनुसार पात्र आरओडीटीईपी निर्यात मदों, दरों, प्रति इकाई मूल्य अधिकतम सीमा और अन्य उपायों में संशोधन या विलोपन शामिल हैं, जैसे भी और जब भी आवश्यक हो।

2. आरओडीटीईपी समिति की सिफारिश के आधार पर नई आरओडीटीईपी दरें संशोधित परिशिष्ट 4द डीटीई (डीटीई इकाइयों के लिए) और परिशिष्ट 4दड. (अग्रिम प्राधिकार पत्र धारकों (मान्य निर्यात को छोड़कर), निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) और एसईजेड इकाइयों के लिए) के अंतर्गत 10.10.2024 से अधिसूचित की जा रही हैं। तथापि, 01.10.2024 और 09.10.2024 के बीच किए गए निर्यात के लिए, अधिसूचना संख्या 70/2023 दिनांक 08.03.2024 के अनुसार मौजूदा दरें लागू रहेंगी।

3. नया परिशिष्ट 4द और परिशिष्ट 4दड. जिसमें पात्र आरओडीटीईपी निर्यात मदें, दरें और प्रति इकाई मूल्य अधिकतम सीमा शामिल हैं, जहाँ भी लागू हो, डीजीएफटी पोर्टल- www.dgft.gov.in पर 'विनियमन>आरओडीटीईपी' लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है।

इस अधिसूचना का प्रभाव:

आरओडीटीईपी स्कीम को डीटीए इकाइयों से किए गए निर्यात के लिए 30.09.2025 तक और एए/ईओयू/एसईज़ेड इकाइयों से किए गए निर्यात के लिए 31.12.2024 तक बढ़ाया गया है। परिशिष्ट 4द और परिशिष्ट 4दड. में यथा संशोधित दरें भी दिनांक 10.10.2024 से लागू करने के लिए अधिसूचित की गई हैं, जब आइसगेट पोर्टल नई दरों के साथ अपडेट हो जाएगा।

संतोष कुमार सारंगी
30.9.2024

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेल : dgft@nic.in